न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–50/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/50)

1. मुकेश पुत्र गोकुल
2. धनराज पुत्र गोकुल
3. राकेश पुत्र गोकुल
4. दिनेश पुत्र गोकुल
5. नेराजी पुत्री गोकुल
6. सुशीला पुत्री गोकुल
7. कमला पत्नि गोकुल
8. धापू पुत्री जगदीश

समस्त जाति कीर, निवासी बगेरा तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. रोडू पुत्र गीला
2. मोहन पुत्र रामचंद्र

समस्त जाति कीर निवासी बगेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2022 राजस्व वाद संख्या 379/2016 (2016/00744)

उपस्थितः–

1. श्री, राकेश अरोडा, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री, शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 03.

निर्णय

दिनांकः– 11.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 379/2016 (2016/00744) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा अपीलांट जो कि जगदीश पुत्र गीला के वारिसान है, के पूर्वज जगदीश पुत्र गीला द्वारा स्वयं का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेट संख्या 2 को बेचान करना वर्णित करते हुए तथा स्वयं का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त आराजीयात में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

होना अंकन कर 1/2 हिस्से का खातेदार नाथू पुत्र गीला के नाम रहे अंकन को हटाया जाकर घोषित करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 4519, 4538 लगायत 4540, 4544, 4565, 4566 कुल किता 8 कुल रकबा 2.14 है0 जो कि गत खसरा नम्बर 2082 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा से बने है, उपरोक्त आराजीयात में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 तथा उसके भाई नाथू पुत्र गीला व अपीलांट के पूर्वज जगदीश पुत्र गीला के 1/3–1/3 खातेदारी में दर्ज रहा है। नाथू पुत्र गीला नाऔलाद लगभग 21 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है जिसके वारिस वैध उत्तराधिकारी वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व अपीलांट के पूर्वज जगदीश रहे है। नाथू की मृत्यु के बाद वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व अपीलांट के पूर्वज का 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार थे। अपीलांट के पूर्वज जगदीश द्वारा नाथू की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्सा बालू पुत्र मूला को बेचान कर दिया एव बालू द्वारा महावीर को तथा महावीर द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 को बेचान कर दिया, जिसका अमल दरामद नामांतरकरण संख्या 3738 दिनांक 6.3.2013 से हो चुका है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 बराबर–बराबर 1/2–1/2 हिस्से के खातेदार है जबकि मृतक नाथू के नाम गलत अंकन हो रखा है जिसे दुरूस्त किया जाकर 1/2 हिस्से का खातेदार नाथू के स्थान पर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को घोषित किया जावे। रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर एकमात्र अपीलांट के वादपत्र को स्वीकार करते हुए मृतक नाथू पुत्र गीला का नाम विलोपित कर 1/2 हिस्से का खातेदार निर्णय दिनांक 31.10.2022 से वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को घोषित किए जाने के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 379/2016 (2016/00744) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 परं कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में नाथू पुत्र गीला के 1/3 हिस्से में अपीलांट बहैसियत बराबर के सहखातेदार घोषित किए जाने योग्य है। अपीलांट के पूर्वाधिकारी जगदीश पुत्र गीला द्वारा स्वयं का 1/3 हिस्सा अपने जीवनकाल में बेचान किया है। नाथू वल्द गीला के नाऔलाद फौत होने पर उसके 1/3 हिस्से की आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी व अपीलांट के नाम नामांतरकरण सख्या 576 से बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई है, किंतु पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेख में नाथू पुत्र गीला 1/4 व रोडू पुत्र गीला 1/4 अंकन होने के आधार पर एकमात्र स्वयं को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कराए जाने हेतु राजस्व वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा बिना अपीलांट प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार बनाए बिना प्रस्तुत किया गया है। जिसें आक्षेपित निर्णय से डिक्री किए जाने में विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है, अतः अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के दौराने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 31.10.2022 पारित किए जाने से पूर्व प्रार्थी को वाद में पक्षकार बनाए बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, पत्रावली में प्रार्थी आवश्यक पक्षकारान को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकपक्षीय आदेश तहसीलदार की सहमति होना वर्णित करती हुए पारित किए गए है जिसकी किसी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी अपीलांट को निर्णय से पूर्व नहीं दी गई। जिसके बाबत प्रार्थी को जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात जो कि रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 3 के हिस्से की आराजीयात में शमलाती रही है पर जबरन दखलंदाजी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किए जाने पर प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा निर्णय व डिक्री के बाबत अवगत कराया गया तत्पश्चात प्रार्थी राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त करने पर उक्त इंद्राजात के बाबत जानकारी हुई, तत्पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण में जानकारी चाही गई। जिस पर उनके अधिवक्ता द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई एवं न्यायालय से प्रकरण की जानकारी कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोही किए जाने हेतु विधिक जानकारी दी गई। जानकारी होने पर आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 2.1.2023 को उपलब्ध होने पर अजमेर आकर अंदर मियाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष पेश कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट सख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में मद संख्या 7 में नामांतरकरण संख्या 576 दिनांक 10.10.1997 से नाथू पुत्र गीला फौत होने से उसके सगे भाईयों अपीलांट के पूर्वज जगदीश पुत्र गीला के वारिसान व रेस्पोडेंट/वादी के नाम विरासतन स्वीकृत होना अंकन किया है एवं मद संख्या 6 में जगदीश पुत्र गीला द्वारा 1/2 हिस्सा बेचान किए जाने का अंकन किया गया है जो कि स्वतः ही विरोधाभासी कथन रहे है चूंकि नाथू पुत्र गीला के नाऔलाद फौत होने पर नामांतरकरण संख्या 576 दिनांक 10.10.1997 को स्वीकृत किया गया है तो उसके पूर्व 1/2 हिस्से का बेचान अपीलांट के पूर्वज जगदीश द्वारा किया जाना संभावित नहीं है, ना ही किसी प्रकार का बेचान जगदीश पुत्र गीला द्वारा 1/2 हिस्से का बेचान किया जा सकता था अवैधानिक रूप से 1/2 हिस्से का बयनामा दिनांक 31.10.1990 को बालू वल्द मूला को करना अंकन करते हुए नामांतरकरण संख्या 234 दिनांक 23.11.1990 को जगदीश रोडू नाथू पिसरान गीला के स्थान पर बालू वल्द मूला के नाम 1/2 हिस्से का स्वीकृत किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही शून्य नामांतरकरण होने से निरस्त किए जाने योग्य रहा है। एकमात्र उक्त नामांतरकरण के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में बयनामा होना वर्णित करते हुए 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 2 व नाथू के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कराए जाने हेतु राजस्व वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 31.10.1990 को 1/3 हिस्से की खातेदारी जगदीश पुत्र गीला अपीलांट के पूर्वज के नाम

राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है जिनके द्वारा स्वयं के हिस्से 1/3 का बेचान बालू पुत्र मूला को किया गया है बालू पुत्र मूला के नाम दिनांक 23.11.1990 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से 1/2 हिस्से का नामांतरकरण गत खसरा संख्या 2082 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा बाबत स्वीकृत किया गया है, जिसके आधार पर बालू पुत्र मूला द्वारा महावीर पुत्र भैरू को बेचान किया गया व महावीर पुत्र भैरू द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात का बयनामा निष्पादित किया गया है। राजस्व अभिलेख में नाथू पुत्र गीला के नाम रहे 1/3 हिस्से बाबत नामांतरकरण संख्या 576 दिनांक 10.10.1997 को मु0गंगा बेवा जगदीश व अपीलांट के पिता गोकुल पुत्र जगदीश के नाम 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट सख्या 1/वादी के नाम 1/2 हिस्से का स्वीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अवैधानिक रूप से नाथू पुत्र गीला का हिस्सा स्वयं के नाम सम्पूर्ण दर्ज कराए जाने हेतु राजस्व वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट सख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसे आक्षेपित निर्णय से डिक्री किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात में नाथू पुत्र गीला के 1/3 हिस्से में अपीलांट बहैसियत बराबर के सहखातेदार घोषित किए जाने योग्य है अपीलांट के पूर्वाधिकारी जगदीश पुत्र गीला द्वारा स्वयं का 1/3 हिस्सा अपने जीवनकाल में बेचान किया है। नाथू वल्द गीला क नाऔलाद फौत होने पर उसके 1/3 हिस्से की आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी व अपीलांट के नाम नामांतरकरण संख्या 576 से बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई है, किन्तु पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेख में नाथू पुत्र गीला 1/4 व रोडू पुत्र गीला 1/4 अंकन होने के आधार पर एकमात्र स्वयं का 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कराए जोन हेतु राजस्व वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष पक्षकार बनाए बिना प्रस्तुत किया गया है। जिसे आक्षेपित निर्णय से डिक्री किए जाने में विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वरा वद दर्ज रक साधारण नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए गए है जिनकी तामिली रिपोर्ट हेतु पत्रावली तक जेरकार रही है उक्त प्रस्तुत वाद पत्र में एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 3 तहसीलदार द्वारा सहमति दी जाकर राज्य हित निहित नहीं होना बताया है अंकन करते हुए तनकियात निर्मित किए बगैर बिना साक्ष्यों को प्रदर्श मार्क किए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के अभाव में निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 को पारित की गई है। जबकि वादी अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य वाद निस्तारण हेतु प्रदर्शित नहीं कराई गई व ना ही वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है। एकमात्र मौखिक कथनों के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना वादपत्र को डिक्री किए जाने में त्रुटि कारित की गई है जोकि, निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्व अभिलेख नकल वर्किंग जमाबदीं सम्वत 2041 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज खातेदारान को पक्षकार निर्मित किए बिना पक्षकरान के दर्ज हिस्से को नाथू पुत्र गीला के 1/4 हिस्से के स्थान पर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को खातेदार घोषित किए जाने हेतु अनुतोष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा चाहा गया है जिसमें विधिवत रूप से अपीलांट को पक्षकार निर्मित कर व अन्य रेस्पोडेंट की तामिली कराई जाकर तनकीयात निर्मित की जाकर साक्ष्य ली जाकर वाद का निस्तारण किया जाना चाहिए। किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रस्तुत वाद पत्र में बिना खातेदारान को नोटिस जारी किए बिना विधिवत रूप से तलबी कराए बिना तनकियात निर्मित किए बिना खातेदारान की तामिल कराए खातेदारान के दर्ज हिस्से को वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम अंकन किए जाने के आदेश दिए गए है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तनकीयात कायम किए बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किए पत्रावली में निर्णय वाद पत्र अनुसार पारित कर निर्णित किया गया है एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना साक्ष्य लिए रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जिसकी अनुपालना में राजस्व अभिलेख में नाथू पुत्र गीला का हिस्सा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम अंकन किए जाने के आदेश पारित किए गए है। जिससे अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होते है जिन्हें आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 379/2016 (2016/00744) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में गलत तथ्यों को अंकित कर प्रस्तुत किया है। वास्तविकता यह है कि वाद वर्णित आराजी पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2040 के खाता संख्या 217–226 खसरा सख्या 282 में वादी के खाता सख्या 217–226 खसरा संख्या 282 में वादी एवं वादी के सगे भाई नाथू एवं जगदीश पिसरान गीला तीनों की खातेदारी में दर्ज है तथा तीनों का बराबर हिस्सा था। नाथू पुत्र गीला नाऔलाद 21 वर्ष पूर्व फौत हो गया था। नाथू पुत्र गीला नाऔलाद 21 वर्ष पूर्व फौत हो गया जिसके विधिक उत्तराधिकारी वादी रोडू व जगदीश दोनों भाई थे इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं था। नाथू की मृत्यु के बाद वादी के 1/2 हिस्सा एवं जगदीश 1/2 हिस्से का खातेदार काश्त है। जगदीश पुत्र गीला ने नाथू की मृत्यु के बाद अपना 1/2 हिस्सा खातेदारी की वाद वर्णित आराजीयात को बालू पुत्र मूला कुमावत को बैचान कर दिया जिसका अमल दरामद वर्किंग जमाबंदी संवत 2040 में नामांतरकरण संख्या 234 दिनांक 23.11.1990 को हो चुका है, तथा क्रेता बालू ने महावीर पुत्र भैरू कीर को भूमि बैचान कर दी जिसका अमल दरामद भी वर्किंग जमाबंदी में हो चुका है। महावीर पुत्र भैरू कीर ने मोहन पुत्र रामचंद्र कीर प्रतिवादी संख्या–2 को भूमि का बैचान कर दिया जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण संख्या 3738 दिनांक 6.3.2013 को हो चुका है इस प्रकार वाद में वर्णित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या 2 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसलिए जब वर्तमान अपीलांट के दादा जगदीश पुत्र गीला द्वारा ही अपने जीवन काल में अपनी खातेदारी आराज़ी का बैचान कर दिया गया था तो अब अपीलांटस को प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है एव ना ही वह अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। जगदीश पुत्र गीला द्वारा अपनी खातेदारी आराजी का बेचान अपने जीवन काल में करने एवं उक्त बेचान की पालना में

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने के कारण जगदीश पुत्र गीला के फुट स्टेप पर क्रेता प्रतिवादी संख्या 2 मोहन पुत्र रामचंद्र को पक्षकार बनाया गया है। इसलिए प्रार्थीगण/अपीलांटस अपीलाधीन निर्णय से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण उनको उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर किए गए कथन संतोषप्रद एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान खसरा नम्बर 4519,4538,4539,4540,4544,4546,4566 के पुराने खसरा नम्बर 2080, जिनसे बने है। कुल रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 2.14 है0 है। वाद वर्णित आराजीयात 1/2 हिस्सा प्रतिवादी/वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा 1/2 हिस्सा वादीगण का है तथा इसी प्रकार संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। वाद वर्णित आराजीयात पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2040 के खाता संख्या 217–226 खसरा नम्बरी 2082 में प्रतिवादी/वादी एवं प्रतिवादी/वादी के सगे भाई नाथू व जगदीश पिसरान गीला तीनों की खातेदारी में दर्ज है तथा तीनों का बराबर–बराबर हिस्सा था। नाथू पुत्र गीला नाऔलाद फौत करीब 21 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके वारिस एवं वैद्य उत्तराधिकारी प्रतिवादी/वादी रोडू व जगदीश दोनों भाई थे, इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं था। नाथू की मृत्यु के बाद प्रतिवादी/वादी के 1/2 हिस्सा तथा जगदीश का 1/2 हिस्सा के खातेदार/काश्तकार थे। जगदीश पुत्र गीला ने नाथू की मृत्यु के बाद अपना 1/2 हिस्सा खातेदारी की वाद वर्णित आराजयात को बालू पुत्र मूला कुमावत को बेचान कर दिया जिसका अमल दरामद वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2040 में नामांतरण संख्या 234 दिनांक 23.11.1990 से हो चुका है तथा क्रेता बालू ने महावीर पुत्र भैरू कीर को बेचान कर दी जिसका अमल दरामद भी वर्किंग जमाबंदी में हो चुका है, तथा महावीर पुत्र भैरू कीर ने मोहन पुत्र रामचंद्र कीर को बैचान कर दी जिसक अमल दरामद वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण सख्या 3738 दिनांक 6.3.2018 से हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान में वाद वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा तथा वादीगण का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। नामांतरकरण संख्या 234 में मृत नाथू का नाम गलत अंकन हो रखा है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2040 के खाता संख्या 217–227 में नामातरकरण संख्या 576 दिनांक 10.10. 1997 से नाथू पुत्र गीला फौत होने से उसकी विरासत उसके सगे भाईयों वादी एवं मृतक जगदीश पुत्र गीला के वारिसान के नाम दर्ज हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 एवं राजस्व अधिकारियों सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से पुराने राजस्व रिकार्ड सम्वत 2040 के नामांतरकरण संख्या 234 दिनांक 23.11.1990 के अनुसार जगदीश ने

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपना हिस्सा 1/2 बेचान बालू को कर दिया जिसमें मृतक नाथू का गलत नाम दर्ज कर दिया जबकि शेष 1/2 हिस्सा वादी/वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का शेष रहा जिसे आधार जमाबंदी सम्वत 2058 के खाता संख्या 828 में भी गलती से रोडू, नाथू पिसरान गीला के नाम दर्ज कर दिया जबकि नाथू फौत हो चुका था तथा अब केवल वादी वाद वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा आराजी का खातेदार/काश्तकार होते हुए भी गलती से मृतक नाथू का नाम पुनः वादी के साथ 1/2 हिस्से में वापस बिना सक्षम न्यायालय के आदेश या डिक्री के कर दिया है जो कतई गैर कानूनी एवं अवैध है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी इसी प्रकार गलत इद्राज हो रखा है जसकी जानकारी वादी को राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 2.5.2016 व दिनांक 16.7.2016 को नकल लेने पर हुई है अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड का इंद्राज दुरूस्त किया जाकर मृतक नाथू पुत्र गीला का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम बघेरा के पुराने खसरा नम्बर 2082 जिसके वर्तमान खाता संख्या नया पुराना 1137–1114 के खसरा संख्या 4519, 4539, 4538, 4540, 4544, 4545, 4546, 4566 का कुल रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा है अर्थात 2.14 है0 में नाथू का नाम विलोपित किया जाकर वादी/वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01,0 2 ने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1956 पेज 227 के न्यायिक दृष्टांत पेश जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि " Hindu law- succession - Right of succession does not remain in abeyance but vestes once in the nearest heir " On the death of Hindu the person who is then nearest heir becomes entitled at once to the property left by him.The right of succession vests in by straightway. It cannot under any circumstances remain in abeyance in expectation of the birth of a preferable heir, where such heir was not conceived at the time of the owner's death. तथा आर.बी.जे.(8) 2001 पेज संख्या 36 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसमें यह अंकित किया गया है कि " On the death of holder of land before notified date - The succession opens immediatey and the legal heirs are entitled to be considered as separate units. पेंश किये है। जो इस हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। नाथू पुत्र गीला लाऔलाद फौत होने से उसका हिस्सा बराबर–बराबर जगदीश, रोडू पिसरान गीला में निहित हो गया तथा जगदीश द्वारा अपना हिस्से में आयी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेंचान किया जा चुका है तथा अब जगदीश के वारिस वर्तमान अपीलांटस अपने पूर्वजों द्वारा किये बेंचान से एस्टोप्ड है अतः अपील में उठाए गये उज्र सारहीन होने से अपील खारिज की जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।सर्वप्रथम हम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आता है कि वाद वर्णित आराजी पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2040 के खाता संख्या 217–226 खसरा संख्या 282 में वादी के खाता संख्या 217–226 खसरा संख्या 282 में वादी एवं वादी के सगे भाई नाथू एवं जगदीश पिसरान गीला तीनों की खातेदारी में दर्ज है तथा तीनों का बराबर हिस्सा था। नाथू पुत्र गीला नाऔलाद 21 वर्ष पूर्व फौत हो गया था। नाथू पुत्र गीला नाऔलाद 21 वर्ष पूर्व फौत हो गया जिसके विधिक उत्तराधिकारी वादी रोडू व जगदीश दोनों भाई थे इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं था। नाथू की मृत्यु के बाद वादी के 1/2 हिस्सा एवं जगदीश 1/2 हिस्से का खातेदार काश्त रहें। जगदीश पुत्र गीला ने नाथू की मृत्यु के बाद अपना 1/2 हिस्से की खातेदारी की आराजीयात को बालू पुत्र मूला कुमावत को बैचान कर दिया जिसका अमल दरामद वर्किंग जमाबंदी संवत 2040 में नामांतरकरण संख्या 234 दिनांक 23.11.1990 को हो चुका है, तथा तत्पश्चात् क्रेता बालू ने महावीर पुत्र भैरू कीर को भूमि बैचान कर दी जिसका अमल दरामद भी वर्किंग जमाबंदी में हो चुका है। महावीर पुत्र भैरू कीर ने मोहन पुत्र रामचंद्र कीर प्रतिवादी संख्या–2 को भूमि का बैचान कर दिया जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण संख्या 3738 दिनांक 6.3.2013 को हो चुका है। इस प्रकार वाद में वर्णित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या 2 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है, इसलिए जब वर्तमान अपीलांट के दादा जगदीश पुत्र गीला द्वारा ही अपने जीवन काल में अपनी खातेदारी आराजी का बैचान कर दिया गया था। अपीलांट के पिता जगदीश ने सन् 1990 में जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से विवादग्रस्त आराजीयात को यह कहते हुए विक्रय किया है कि नाथू कि जमीन का बराबर–बराबर हिस्सा जगदीश व रोडू के हिस्से में नाथू की फौतगी पर आ जाने के कारण वह सम्पूर्ण जमीन का 1/2 हिस्सा को बैचान कर रहा है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.09.2000 में स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति की निर्वसीयति फौतगी पर उसका हिस्सा स्वतः ही उसके विधिक वारिसानों को चला जाता है तथा जगदीश द्वारा निष्पादित विक्रय–पत्र में यह कथन किया गया है कि **नाथू कि जमीन का बराबर–बराबर हिस्सा जगदीश व रोडू के हिस्से में नाथू की फौतगी पर आ जाने के कारण वह सम्पूर्ण जमीन का 1/2 हिस्सा को बैचान कर रहा है**, तो उसके विधिक वारिसान उसके पूर्वाधिकारी के कथन से एस्टोप्ड है। नियमानुसार तो फौतगी नामांतरकरण तत्समय ही खोला जाना था परंतु राजस्व कर्मीयों कि त्रुटि/गलती का फायदा जगदीश के वारिसान को नही दिया जा सकता है। नामांतरकरण महज एक फिस्कल प्रोसिडिंग है, इससे किसी के हक अधिकार तय नही हो सकते है। जगदीश के वारिसान जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित नही करवा लेंगे तब तक वे व्यथित अथवा पीडित पक्षकार नहीं माने जा सकते है। जिस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में जगदीश द्वारा 1/2 हिस्से का बेचान किया जा चुका है उसके शून्यकरणीय घोषित नहीं किए जाने तक अपीलांट व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते है तथा रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1995 पेज 227 तथा आर.बी.जे. (8) 2001 पेज 36 हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अतः उपरोक्त कारणों से प्रार्थीगण/ अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11. अतः प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 379/2016 (2016/00744) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर